सं07(90)/संस्था0 II/89
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
संस्था0 III शाखा

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त, 1993

कार्यालय ज्ञापन

विषय : चौथे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें – प्रैक्टिस बंदी भत्ते की मंजूरी

मुझे पशु चिकित्सकों को प्रैक्टिस बंदी भत्ते की संशोधित दरों की मंजूरी से संबंधित इस मंत्रालय के दिनांक 11 मई, 1990 के कार्यालय ज्ञापन सं0 1(30)-आई0सी0/86 का हवाला देने का निदेश हुआ है । ये आदेश इनके जारी होने की तारीख से प्रभावी हुए थे । दिल्ली पशु चिकित्सक एसोसिएशन ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष एक याचिका दायर की थी कि प्रैक्टिस बंदी भत्ते की संशोधित दरों को उन पर 11.5.1990 की बजाए 1.1.1986 से लागू किया जाए । न्यायाधिकरण ने उनकी याचिका को मंजूर कर लिया है । अब न्यायाधिकरण के आदेश को लागू कर दिया गया है ।

2. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के लाभ को इसी तरह के अन्य अधिकारियों को दिए जाने संबंधी प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है । अब न्यायाधिकरण के आदेश के लाभ को इसी तरह के अन्य पशु चिकित्सकों को भी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ।

तदनुसार इस मंत्रालय के दिनांक 11 मई, 1990 के कार्यालय ज्ञापन सं0 1(30)-आई0सी0/86 का पैरा 3 संशोधित हो गया है अर्थात यह आदेश उस तारीख से प्रभावी होंगे जिस तारीख को कोई कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1986 के अनुसार उस पर लागू पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त करता है ।

3. अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

(बी0 कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग
(संलग्न सूची के अनुसार) ।